| आदेश की कम और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 11.10.2019 | | |

# न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्विटेटर, धनबाद
## आर्बिट्रेशन केश नं0–38/2019

मो0 कमरूद्दीन —बनाम्— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचांची अंचल अन्तर्गत मौजा–तोपचांची, थाना नं0–49, खाता नं0–395 प्लॉट नं0–2333/1, रकवा–0.0049 एकड भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र एवं आवेदक स्वंय अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अर्जित भूमि का बाजार दर पर मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अधिग्रहित भूमि व्यवसायिक भूमि है। आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉची, राष्ट्रीय उच्च पथ अधिनियम 1956, भू–अर्जन अधिनियम 1894 एवं 1984 तथा भू–अर्जन पुर्नवास तथा पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 एवं अर्विट्रेशन तथा कॉन्सीलेशन अधिनियम 1956 के आलोक में अनुपालन हेतु अनुरोध किया गया है, साथ ही आवेदक द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि एवं अवस्थित संरचना का 5,95,994.08 रू0 का भुगतान किया गया है, जबकि मुआवजा राशि का भुगतान 52,30,922.00 रू0 किया जाना चाहिए।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जांच करते हुए भूमि एवं अवस्थित संरचानाओं का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर) 11/10/19
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 11/10/19
अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner